उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 03 /ix-1/2025-26/2015/E-81419
देहरादूनः दिनांक 21 फरवरी, 2025

अधिसूचना संख्या–.....02...../IX–1/2025–26/2015/ई0–81419, दिनांक 21..... फरवरी, 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति, 2025 से सम्बन्धित अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख्य की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गोपन (मंत्रिपरिषद अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियाँ परिवहन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया प्रभारी, सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोक्त।

(रीना जोशी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्याः 02 /IX–1/2025–26/2015/ई0–81419
देहरादूनः दिनांक 21 फरवरी, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, राज्य में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित गतिविधियों में सुधार लाने के लिये, उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा नीति से सम्बन्धित पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्याः 98/ix–1/26/2015, दिनांक 09 फरवरी, 2016 को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:–

उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति, 2025

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है, जहां सड़क परिवहन ही यातायात का मुख्य साधन है। राज्य के 09 जनपद पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रस्तावित सड़क सुरक्षा नीति, 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत् सड़क सुरक्षा नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रयासरत रहेगी।

उत्तराखण्ड राज्य में अधिकतर सड़कों के घुमावदार, तीव्र मोड़, नदी–धाराओं से निकटता एवं पर्वतीय मार्गों पर अवस्थित होने के कारण सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात के सीमित साधन होने एवं बड़ी संख्या में प्रति वर्ष राज्य में आने वाले पर्यटकों के कारण सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु एक प्रभावी सड़क सुरक्षा नीति आवश्यक है। नीति को भविष्यगामी प्रौद्योगिक विकास एवं कृत्रिम मेधा (ए0आई0) विकास के अनुरूप होना भी आवश्यक है।

संकल्प

उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा नीति, 2025 राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत की कमी लाने एवं सड़क परिवहन को सुगम एवं सुरक्षित बनाने हेतु संकल्पबद्ध होगी। इस नीति में यात्रा को दुर्घटना रहित बनाने के लिए सड़क सुरक्षा के निम्नलिखित स्वर्णिम सूत्रों का उपयोग किया जाएगाः–

1. शिक्षा एवं जागरूकता
2. सड़कों की दशा में सुधार

3. प्रवर्तन कार्य का सुदृढ़ीकरण
4. चिकित्सा सुविधाओं का विकास

उद्देश्य

उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा नीति, 2025 के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:–

1. प्रत्येक सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2. शिक्षा एवं प्रशिक्षण विधियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करना।
3. सुरक्षित मार्ग अवसंरचना विकसित करना।
4. सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित कराना।
5. दुर्घटना पीड़ितों हेतु आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रणाली (Emergency Medical Care System) को सुदृढ़ करना।
6. सड़क सुरक्षा हेतु सक्षम विधिक, संस्थागत और वित्तीय वातावरण को सुदृढ़ करना।
7. सड़क सुरक्षा विषय पर गुणात्मक शोध को प्रोत्साहित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा सड़क सुरक्षा डाटा बेस स्थापित करना।

नीति कथन

सड़क सुरक्षा की व्यापकता एवं इसके अन्तर्विभागीय सरोकार के दृष्टिगत् विभिन्न हितधारक विभागों की भूमिका को निर्धारित करते हुए राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा नीति को प्रभावी किया जायेगा।

<u>शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग:–</u>

1. छात्र–छात्राओं को प्रारम्भिक कक्षाओं से ही सड़क सुरक्षा की शिक्षा प्रदान किया जाना।
2. सड़क सुरक्षा के पाठ्यक्रम का सतत् मूल्यांकन एवं समय–समय पर उन्नयन करना।
3. शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता/सम्वाद कार्यक्रम चलाया जाना।
4. स्कूल बस एवं स्कूल वैन के चालकों/संचालकों को जागरूकता कार्यक्रमों एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाना।
5. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कार्य कराना।
6. राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट गाईड तथा एन0एस0एस0 केडेट्स को सड़क सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित किया जाना।

7. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र–छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों को भी सड़क सुरक्षा जागृति कार्यक्रमों से जोड़ा जाना।

<u>सड़क निर्माण विभाग (यथा–लोक निर्माण विभाग, एन0एच0ए0आई0, बी0आर0ओ0, सिंचाई विभाग आदि) :–</u>

1. ग्रामीण और शहरी सड़कों के डिजायन में सुरक्षा से सम्बन्धित मानकों के उपाय करना और राज्य की यातायात परिस्थितियों के दृष्टिगत् उन्हें सर्वश्रेष्ठ चलनों के अनुरूप बनाया जाना।
2. सड़क मार्गों के डिजाईन एवं निर्माण के समय मोटरीकृत/गैर मोटरीकृत यातायात, पैदल यात्रियों, अक्षम व्यक्तियों, दिव्यांग व्यक्तियों एवं बच्चों के सुरक्षित चालन को ध्यान में रखा जाना।
3. देश विदेश में नगर नियोजकों, वास्तुविदों एवं यातायात अभियन्त्रणों के श्रेष्ठ चलनों को राज्य की स्थिति के अनुसार उपयोग किया जाना।
4. राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य मार्गों की कार्यदायी संस्थाओं का विभिन्न हित धारक एजेन्सियों यथा–बचाव दल, अग्निशमन दल, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, आपातकालीन सेवाएं आदि से समन्वय कर सड़क मार्गों के डिजायन, रख–रखाव एवं सुधार के लिये योजना तैयार करना।
5. पर्वतीय मार्गों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण रूप से क्रैश बैरियरर्स से आच्छादित किया जाना।
6. राज्य में चिन्हित् ब्लैक स्पॉट्स एवं दुर्घटना संभावित स्थलों का त्वरित सुधार किया जाना।
7. सड़कों पर खुदाई करने, गड्ढे करने, सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री के भण्डारण हेतु लोक निर्माण विभाग स्तर से मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किया जाना।

<u>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागः–</u>

1. चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मियों को सड़क दुर्घटनाओं के उपचार हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित करना।
2. दुर्घटना पीड़ित के बचाव एवं उपचार हेतु स्वर्णिम अवधि (Golden Hour) का महत्व जनमानस को समझाने हेतु जागरूकता लाना।
3. दुर्घटना प्रभावित व्यक्ति को त्वरित एवं प्रभावी ट्रॉमा केयर से लाभान्वित करने हेतु Air Ambulance Service तंत्र को सम्मिलित करते हुए आपातकालीन सेवाओं (Ambulance Service) को विस्तारित एवं सुदृढ़ करना।
4. राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों के साथ लगने वाले चिकित्सालय और ट्रॉमा केयर केन्द्रों को पर्याप्त रूप से साधन सम्पन्न किया जाना।

5. प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) की जानकारी परिवहन एवं पुलिस विभाग के सहयोग से First Respondor तक पहुंचाया जाना।
6. Good samaritan योजना का प्रचार–प्रसार करना।
7. किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत निःशुल्क कैशलेस उपचार प्रदान करने हेतु कार्य करना।

<u>परिवहन विभागः–</u>

1. सड़क सुरक्षा नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन कार्य को सुदृढ़ करना।
2. केन्द्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों पर हाईवे पेट्रोलिंग स्थापित और सुदृढ़ करना।
3. चालकों के वाहन चालन कौशल में सुधार लाने के लिए लाईसेन्सिंग प्रणाली को सशक्त एवं कृत्रिम मेधा का प्रयोग करते हुए स्वचालित करना।
4. वाहन चालकों विशेषकर भारी वाहन चालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
5. हल्के परिवहन वाहन का संचालन करने वाले चालकों हेतु रिफ्रेशर कोर्स प्रारम्भ करना।
6. प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) को वाहन चालकों/परिचालकों के लाईसेन्स हेतु अनिवार्य योग्यता में सम्मिलित करना।
7. समान श्रेणी के अपराधों की पुनरावृत्ति करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाही करना एवं उनकी काउन्सलिंग करना।
8. समय–समय पर वाहनों की फिटनेस (Road Worthiness) की जाँच करना और फिटनेस कार्य का आटोमेशन करना।
9. प्रवर्तन कार्य का विस्तार करना एवं इलैक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेन्ट डिवाईस का प्रयोग करते हुए प्रवर्तन कार्य को सुदृढ़ किया जाना।
10. राज्य के प्रमुख नगरों को संकुलन मुक्त रखने के लिए एकीकृत नगरीय परिवहन प्रणाली को विकसित करना।
11. सुरक्षित एवं दक्ष यातायात प्रणाली स्थापित करने के लिए Intelligent Transport System को प्रोत्साहित करना।
12. पैदल यात्री, साईकिल सवार एवं अन्य गैर मोटरीकृत सड़क प्रयोगकर्ताओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।
13. प्रत्येक जनपद में व्यस्थित एवं संगठित ढंग से यातायात सप्ताह/यातायात माह का आयोजन करना।
14. सोशल मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता।
15. सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों/उपायों में स्वंयसेवी संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त करना।
16. किसी सार्वजनिक सेवायान के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने पर प्रभावित व्यक्तियों को यथाशीघ्र राहत राशि वितरित करना।

17. Good samaritan योजना का प्रचार–प्रसार करना तथा नेक व्यक्तियों को पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित करना।

आपदा प्रबन्धन विभागः–

1. किसी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित दुर्घटना की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस/राजस्व पुलिस एवं चिकित्सा विभाग को उपलब्ध कराना।
2. घटना की गम्भीरता के आधार पर राहत एवं बचाव कार्य हेतु एनडीआरएफ/एसडीआरएफ को सक्रिय करना।

पुलिस विभागः–

1. यातायात नियन्त्रण एवं यातायात के सुगम प्रवाह हेतु आधुनिक तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना।
2. यातायात सम्बन्धी विधियों का कठोर प्रवर्तन सुनिश्चित करना एवं फेस लैस चालान पर बल दिया जाना।
3. सड़क दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों को जानने एवं उनका विश्लेषण करने के दृष्टिगत् एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण करना।
4. सभी पुलिस एवं यातायात कार्मिकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में Road crash probe/Investigation एवं प्राथमिक उपचार कौशल का समावेश किया जाना।
5. ट्रैफिक वालंटियर, जूनियर ट्रैफिक फोर्स, ट्रैफिक वार्डन तथा एन0सी0सी0 केडेट्स को सड़क सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित किया जाना।
6. विभिन्न अकादमिक एवं अनुसंधान संस्थाओं में यातायात सुरक्षा पर सम्मेलन आयोजित करना।
7. सामुदायिक भागीदारी विकसित करने हेतु समय–समय पर सड़क सुरक्षा आउट रीच कार्यक्रम चलाना।
8. Good samaritan योजना का प्रचार–प्रसार करना तथा नेक व्यक्तियों को पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित करना।
9. प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) की जानकारी First Respondor तक पहुंचाया जाना।
10. पैदल यात्री, साईकिल सवार एवं अन्य गैर मोटरीकृत सड़क प्रयोगकर्ताओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।
11. प्रत्येक जिले में व्यवस्थित एवं संगठित ढंग से यातायात सप्ताह/यातायात माह का आयोजन करना।
12. सोशल मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता।
13. सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों/उपायों में स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त करना।

आवास, शहरी विकास एवं स्थानीय निकायः–

1. सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने हेतु कार्य करना।
2. मार्ग पर अवस्थित ऐसे होर्डिंग्स एवं वस्तुओं, जो वाहन संचालन के समय चालक की एकाग्रता को भंग करते हों अथवा मार्ग की दृश्यता को बाधित करते हों, को हटाया जाना।
3. पैदल यात्रियों के मार्ग पर सुगम संचरण हेतु मार्ग पर अवस्थित अतिक्रमण को हटाना तथा पैदल यात्रियों हेतु पृथक से फुटपाथ का निर्माण करना।
4. यातायात पुलिस के साथ समन्वय करते हुए विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में पार्किंग हेतु योजना बनाना।
5. आवारा पशुओं से दुर्घटनाओं को रोकने हेतु पशु शालाओं का निर्माण करना।
6. सुगम यातायात हेतु नगरीय क्षेत्र में उचित स्थानों पर सड़क संकेत चिन्ह प्रदर्शित करना, रोड मार्किंग करना, सड़कों एवं पार्किंग स्थलों पर प्रकाश हेतु स्ट्रीट लाईट्स की व्यवस्था करना।

वन विभागः–

1. वन्य जीवों एवं सड़क यातायात प्रवाह के संघर्ष को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाना।
2. वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्रों में वाहनों की गति पर नियन्त्रण हेतु उपाय करना एवं मार्ग के बीच विभाजक पटरियों पर लगाये जाने वाले वृक्षों/पौधों के चयन में सड़क निर्माण विभाग को परामर्श प्रदान करना।
3. वन्य जीवों की सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत् यथोचित स्थानों पर सूचना संकेतांकों का प्रदर्शन करना।
4. पर्वतीय मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना।

अन्य विभागः–

1. नशे का सेवन कर वाहन संचालन को हतोत्साहित करने की दृष्टि से आबकारी विभाग स्तर से भी व्यापक प्रचार–प्रसार करना। **(आबकारी विभाग)**
2. सोलेशियम स्कीम (हिट एण्ड रन के मामले) के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तियों को समयबद्ध आर्थिक सहायता प्रदान कराना। **(जिला प्रशासन)**
3. जिला सड़क सुरक्षा समितियों के माध्यम से जनपदों में सड़क सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन करना। **(जिला प्रशासन)**
4. सड़क के किनारे स्थापित विद्युत पोल/ट्रांसफार्मर आदि को इस प्रकार व्यवस्थित करना और उन पर पर्याप्त परावर्तक लगवाना ताकि दुर्घटना की संभावना को न्यून किया जा सके। **(ऊर्जा विभाग)**

5. पर्यटन विभाग के माध्यम से राज्य में आने वाले पर्यटकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना। (पर्यटन विभाग)
6. रात्रि के समय आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में संलग्न वाहनों के आवागमन को व्यवस्थित करने हेतु खाद्य एवं नागरिक विभाग द्वारा परिवहन, पुलिस एवं जिला प्रशासन से समन्वय बनाया जाना। (खाद्य एवं नागरित आपूर्ति विभाग)

कार्यान्वयन पक्ष

1. संस्थागत तन्त्र–

(1) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 (2) के उपबंधों के अधीन अधिसूचना संख्या–549(1)/ix–1/23(2014)/2017, दिनांक 24–07–2017 के अन्तर्गत माननीय परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। उक्त परिषद् राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में नीति निर्माता निकाय है। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की वर्ष में दो बैठक आहूत करने की व्यवस्था है, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है तथा सरकार को इनके कियान्वयन पर सलाह दी जाती है।

(2) अनुश्रवण समिति

अधिसूचना संख्या–316/ix–1/25/2015, दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की वर्ष में दो बैठक आहूत करने की व्यवस्था है, जिसमें राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समीक्षा की जाती है।

(3) सड़क सुरक्षा कोष की प्रबन्ध समिति

अधिसूचना संख्या–840/ix–1/79(2016)/2017टी0सी0, दिनांक 20–11–2017 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गयी है। नियमावली के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में कोष की प्रबन्ध समिति की व्यवस्था दी गई है, जिसके द्वारा सड़क सुरक्षा कोष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लिया जाता है।

(4) लीड एजेन्सी

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिसूचना संख्या–455/IX–1/90/2016/2019, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 द्वारा संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में लीड एजेन्सी का गठन किया गया है। लीड एजेन्सी में परिवहन, पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी पूर्णकालिक रूप से तैनात किये गये हैं, जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद, अनुश्रवण समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराने के साथ ही राज्य में सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी क्रिया कलापों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है।

(5) जिला सड़क सुरक्षा समिति

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215(3) के उपबंधों के अधीन कार्यालय ज्ञाप संख्या–170/(23/IX–1/2014)/2022, दिनांक 11–05–2022 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। उक्त समिति प्रत्येक जनपद में कार्यरत है। इसकी बैठक प्रत्येक माह में एक बार होती है, जिसमें विभिन्न सड़क सुरक्षा उपाय, सड़क दुर्घटनाओं के डाटा का संकलन और विश्लेषण कर समीक्षा की जाती है।

(6) सड़क दुर्घटनाओं के अध्ययन हेतु अर्न्तविभागीय टीम (धारा 135)

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 135 के अन्तर्गत दुर्घटनाओं के मामलों में सड़क दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–640/(79/IX–1/2016)/2021, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के अन्तर्गत उप जिला मजिस्ट्रेट (एस0डी0एम0) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

(7) सड़क दुर्घटना डाटा प्रबन्धन प्रणाली (आई–रैड/ई–डार पोर्टल के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन)

वाहनों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस संबंध में दुर्घटनाओं का सही डाटा प्राप्त होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्मित आई–रैड/ई–डार पोर्टल को राज्य में लागू किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित डाटा एकत्र कर उसका विश्लेषण करना है। इसके द्वारा सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिये आवश्यक विभिन्न उपायों की पहचान करने, नये उपचारक तरीकों हेतु योजना बनाने में

सहायता प्राप्त होगी। उक्त योजना में चार स्टैकहोल्डर्स विभाग हैं–पुलिस, परिवहन, चिकित्सा एवं लोक निर्माण विभाग।

(8) आपात दुर्घटना राहत केन्द्र (प्रत्येक एन0एच0/एस0एच0 पर 50 किलोमीटर की दूरी पर)

आपात दुर्घटना राहत केन्द्र राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों में प्रत्येक 50 कि0मी0 की दूरी पर कार्यरत रहेंगे। इन आपात दुर्घटना राहत केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य दुर्घटना होने पर पीड़ितों को तुरन्त प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना और आगे के उपचार के लिये उनके चयनानुसार समीपस्थ चिकित्सालय तक पहुंचाना है। ऐसे प्रत्येक केन्द्र में आवश्यक जीवनोपयोगी दवाएं और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त चालक के साथ एक एम्बुलेन्स चौबीस घंटे उपलब्ध रहेगी।

2. संसाधन–

(1) सड़क सुरक्षा कोष

अधिसूचना संख्या–840/ix–1/79(2016)/2017टी0सी0, दिनांक 20–11–2017 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) प्रख्यापित की गई है। नियमावली के प्रावधानों के अनुसार परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा चालानों के प्रशमन से वसूले जाने वाले प्रशमन शुल्क का 30 प्रतिशत धनराशि सड़क सुरक्षा कोष में आवंटित करने की व्यवस्था की गई है।

(2) विभागीय बजट

सड़क सुरक्षा कोष के अतिरिक्त पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग को विभागीय बजट के माध्यम से सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) केन्द्र सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता

समय–समय पर केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भी सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है। राज्य सरकार द्वारा उक्त योजनाओं को राज्य में लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएंगें।

(4) केन्द्रीय सड़क कोष (सेन्ट्रल रोड फण्ड)

केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को सड़कों के रख–रखाव एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है। उक्त मद में भी अधिकाधिक धनराशि प्राप्ति का प्रयास किया जाएगा।

(5) विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं से प्राप्त सहयोग

राज्य में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

(6) सी0एस0आर0 के अन्तर्गत प्राप्त सहायता

सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अवस्थापकीय सुविधाओं के विकास में सी0एस0आर0 के अन्तर्गत विभिन्न कोर्पोरेट संस्थानों से सहायता प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

(7) दुर्घटना राहत निधि

सार्वजनिक सेवायानों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों एवं गम्भीर/साधारण रूप से घायल व्यक्तियों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से सरकार द्वारा "उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" का गठन किया गया है। इस निधि से किसी सार्वजनिक सेवायान से दुर्घटना होने की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्र के जिलाधिकारी के माध्यम से निम्न प्रकार राहत राशि प्रदान की जाती है:–

क्र0सं0	दुर्घटना/क्षति का विवरण	अनुमन्य राहत राशि (रूपये)
1	दुर्घटना में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर	2,00,000.00
2	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, जबकि प्रभावित यात्री/अन्य व्यक्ति, ऐसी पूर्ण निःशक्तता जो नियोजन, उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में बाधक हो। इसमें निम्नलिखित मामले भी सम्मिलित है:– (क) दो अंगों की पूर्ण हानि (ख) दोनों नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि	1,00,000.00
3	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में यथा– (क) टखने से ऊपर एक पैर की हानि (ख) एक नेत्र की हानि (ग) दोनों कानों के सुनने की हानि (घ) दाहिनी कलाई या एक भुजा की हानि (ङ) यदि घायल व्यक्तियों को 20 दिवस अथवा अधिक दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पड़े	40,000.00
4	दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति में क्रमांक 2 एवं 3 से भिन्न मामलों में	10,000.00

परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप–

(1) **चालक लाईसेन्स निर्गत करने की व्यवस्था का ऑटोमेशनः** परिवहन विभाग के प्रत्येक कार्यालय में आटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक स्थापित करना।

(2) **वाहनों की फिटनेस सम्बन्धी प्रक्रिया का आटोमेशनः** परिवहन विभाग के अन्तर्गत सरकारी एवं निजी क्षेत्र में आटोमेटिड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करना।

(3) **प्रवर्तन दलों का सुदृढ़ीकरण एवं प्रवर्तन कार्रवाही का आटोमेशनः** परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अन्तर्गत गठित प्रवर्तन दलों का सुदृढ़ीकरण, दलों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना, इलेक्ट्रानिक इन्फोंसमेन्ट को बढ़ावा देने के लिए ए0एन0पी0आर0, आर0एल0वी0डी0, एस0एल0वी0डी0 उपकरणों की स्थापना करना आदि।

(4) **हल्के वाहन चालकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्थाः** हल्के व्यवसायिक वाहन चलाने वाले चालकों को लाईसेन्स जारी करने से पूर्व एवं नवीनीकरण के अवसर पर प्रशिक्षण/रिफ्रैशर कोर्स अनिवार्य किया जाना।

(5) बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से **चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क** की स्थापना।

(6) **ब्लैक स्पॉट का चिन्हिकरण एवं सुधारीकरणः** लोक निर्माण विभाग, एन0एच0, एन0एच0ए0आई0, बी0आर0ओ0 एवं अन्य सड़क निर्माण करने वाले संस्थाओं के माध्यम से निर्धारित प्राटोकोल के अनुसार ब्लैक स्पॉट का चिन्हिकरण एवं सुधारीकरण किया जाना तथा सुधारीकरण के उपरान्त उक्त स्थल पर दुर्घटनाओं की समीक्षा किया जाना।

(7) **दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हिकरण एवं सुधारीकरणः** लोक निर्माण विभाग, एन0एच0, एन0एच0ए0आई0, बी0आर0ओ0 एवं अन्य सड़क निर्माण करने वाले संस्थाओं के माध्यम से दुर्घटना संभावित स्थलों के चिन्हिकरण हेतु मानक निर्धारित किया जाना एवं निर्धारित मानक के अनुसार स्थलों का चिन्हीकरण एवं सुधारीकरण किया जाना।

(8) **चिन्हित सड़कों के किनारे क्रैश बैरियर लगाया जानाः** लोक निर्माण विभाग, एन0एच0, एन0एच0ए0आई0, बी0आर0ओ0 एवं अन्य सड़क निर्माण करने वाले संस्थाओं के माध्यम से पर्वतीय मार्गों पर, विशेष रूप से ब्लैक स्पॉट, दुर्घटना संभावित स्थलों एवं अन्य चिन्हित स्थलों पर समयबद्ध रूप में क्रैश बैरियर स्थापित किया जाना।

(9) **जंक्शन्स पर स्पीड कामिंग मैजर्स की स्थापनाः** लोक निर्माण विभाग, एन0एच0, एन0एच0ए0आई0, बी0आर0ओ0 एवं अन्य सड़क निर्माण करने वाले संस्थाओं के माध्यम से राज्य के सभी ऐसे जंक्शन, जहां लोअर हार्यरकी की सड़क हायर हार्यरकी की सड़क से मिलती है, पर स्पीड कामिंग मैजर्स स्थापित किया जाना।

(10) **रोड़ सेफ्टी ऑडिट कराना और ऑडिट की संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही करनाः** लोक निर्माण विभाग, एन0एच0, एन0एच0ए0आई0, बी0आर0ओ0 एवं अन्य सड़क निर्माण करने वाले संस्थाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार रोड़ सेफ्टी ऑडिट कराते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना।

(11) **रोड़ मार्किंग एवं रोड़ साईनेज लगाया जानाः** लोक निर्माण विभाग, एन0एच0, एन0एच0ए0आई0, बी0आर0ओ0 एवं अन्य सड़क निर्माण करने वाले संस्थाओं के माध्यम से सड़कों पर पर्याप्त संख्या में रोड़ मार्किंग एवं रोड़ साइनेज स्थापित किया जाना।

(12) **साईकिल ट्रैक एवं पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ आदि की व्यवस्था करनाः** लोक निर्माण विभाग, एन0एच0, एन0एच0ए0आई0, बी0आर0ओ0, शहरी विकास विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभाग के माध्यम से साईकिल ट्रैक एवं फुटपाथ की व्यवस्था किया जाना।

(13) **चालकों के लिए विश्राम स्थलों की स्थापनाः** लोक निर्माण विभाग, एन0एच0, एन0एच0ए0आई0, बी0आर0ओ0 एवं अन्य सड़क निर्माण करने वाले संस्थाओं एवं जिलाधिकारियों के माध्यम से मार्ग पर एवं गंतव्य स्थलों पर, विशेष रूप से चारधाम यात्रा रूट पर चालकों के विश्राम हेतु विश्राम स्थलों की व्यवस्था किया जाना।

(14) **पर्वतीय मार्गों पर सड़क के किनारे वृक्षारोपणः** वन विभाग द्वारा पर्वतीय मार्गों पर वाहनों के गहरे खाई में गिरने से रोकने के लिए सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाना।

(15) बस अड्डों पर एवं सरकारी/निजी बसों के माध्यम से इस आशय का प्रचार प्रसार किया जाना कि वन क्षेत्रों से गुजरने वाले मोटर मार्गों पर कोई पर्यटक/यात्री खाद्य सामग्री/पेय पदार्थ/प्लास्टिक बोटल अथवा प्लास्टिक निर्मित सामग्री/ पॉलीथीन/कूड़ा कचंरा इत्यादि वन क्षेत्रों में न फेकें एवं वन्यजीवों/विशेषकर बन्दरों को खाने की सामग्री न दें।

(16) वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्रों में वाहनों की गति पर नियन्त्रण हेतु उपाय करना एवं मार्ग के बीच विभाजक पटरियों पर लगाये जाने वाले वृक्षों/पौधों के चयन में कार्यदायी विभाग द्वारा वन विभाग से परामर्श प्राप्त करते हुए कार्यवाही किया जाना।

(17) सड़क विस्तारीकरण/निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित विभाग यथा– लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करना।

(18) जिन क्षेत्रों में वन्यजीवों का विचरण अधिक है अथवा कॉरीडोर वाले क्षेत्रों में यथा संभव अंडरपास/ओवरपास बनाया जाना।

(19) **अधिकारियों एवं कार्मिकों में सड़क सुरक्षा विषय पर क्षमता विकासः** सभी स्टेक होल्डर विभागों यथा–परिवहन, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय–समय पर सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध मे विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराना। इसके अतिरिक्त सामान्य जनमानस, चालक/परिचालकों के मध्य से फर्स्ट रेस्पोन्डर तैयार करना।

(20) **जन जागरूकताः** परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से विभिन्न सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों, सोशल मीडिया, फिल्म निर्माण, संदेश आदि के माध्यम से सामान्य जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।

(21) प्रत्येक जनपद में सुनियोजित तरीके से यातायात सप्ताह/यातायात माह का आयोजन करना।

(22) दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को **कैशलेस उपचार** की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू योजना का राज्य में कड़ाई से कियान्वयन किया जाना और भविष्य में योजना में दुर्घटना स्थल के निकटतम अस्पतालों को सम्मिलित किए जाने हेतु कार्यवाही करना।

(रीना जोशी)
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification No. 02 /IX-1/ 2025/26/2015/E-81419. Dehradun: Dated 21 February, 2025.

Government of Uttarakahnd
Transport Section -1
No. 02 /IX-1/2025/26/2015/E-81419.
Dehradun: Dated 21 February, 2025

NOTIFICATION

For improving the road safety related activities, in supersession of notification No. 98/iX-1/ 26/2015, dated 09 February, 2016, issued previously related to Uttarakhand State Road Safety Policy, the Governor is pleased to allow to make the following policy, namely:-

The Uttarakhand State Road Safety Policy, 2025

Introduction

Uttarakhand is a mountainous state where road transport is the main means of transportation. Due to 9 districts being located entirely in mountainous regions, special attention to road safety is necessary. The proposed Road Safety Policy, 2025 will strive to implement road safety policies in line with the National Safety Policy while considering Uttarakhand state's specific geographical conditions.

In Uttarakhand state, there is constant risk of road accidents due to most roads being winding, having sharp turns, proximity to rivers, and being located on mountain routes. Due to limited transportation options in mountainous areas and the large number of tourists visiting the state annually, an effective road safety policy is necessary. The policy also needs to align with future technological developments and artificial intelligence (AI) advancement. Keeping all these facts in mind.

Resolution

The Uttarakhand Road Safety Policy, 2025 will be committed to reducing road accidents in the state by 50% by 2030 and making road transport smooth and safe. This policy will use the following golden rules of road safety to make travel accident-free:

1. Education and Awareness.
2. Improvement in Road Conditions.

3. Strengthening of Enforcement.
4. Development of Medical Facilities.

Objective

The objectives of Uttarakhand Road Safety Policy, 2025 will be to:

1. Ensure safety of every road user.
2. Create awareness about road safety through education and training methods.
3. Develop safe road infrastructure.
4. Ensure compliance with road safety and traffic rules.
5. Strengthen Emergency Medical Service System for accident victims.
6. Strengthen competent legal, institutional and financial environment for road safety.
7. Encourage qualitative research on road safety, analyze data and establish road safety database.

Policy Statement

In view of the comprehensiveness of road safety and its inter-departmental concern, the state government will implement the road safety policy by determining the role of various stakeholder departments.

Education/Higher Education/Technical Education/Medical Education Department:

1. Provide road safety education to students from primary classes.
2. Continuous evaluation and periodic upgrading of road safety curriculum.
3. Conduct road safety awareness/dialogue programs for teachers and parents.
4. Connect school bus and van drivers/operators with awareness programs and refresher training programs.
5. Ensure participation of all education department officials in road safety awareness programs.
6. Train National Service Scheme, Scout Guide, and NSS cadets for road safety.
7. Include students, parents, and teachers of higher education, technical education, and medical education departments in road safety awareness programs.

Road Construction Department (i.e-Public Works Department, NHAI, BRO, Irrigation Department, etc.):

1. Implement safety standards in rural and urban road design and align them with best practices considering the state's traffic conditions.
2. Consider safe movement of motorized/non-motorized traffic, pedestrians, disabled persons, and children during road design and construction.
3. Adopt best practices of urban planners, architects, and traffic engineers from India and abroad according to state conditions.
4. Coordinate with stakeholder agencies like rescue teams, fire departments, transport department, traffic police, emergency services for planning road design, maintenance, and improvement.
5. Cover mountainous roads fully with crash barriers in a phased manner.
6. Quick improvement of identified black spots and accident-prone locations.
7. Develop guidelines at PWD level for road excavation, pothole repairs, and storage of construction materials.

Medical Health and Family Welfare Department:

1. Specially train doctors/health workers for treating road accident cases.
2. Create awareness among public about the importance of Golden Hour for rescue and treatment of accident victims.
3. Strengthen and expand emergency services including Air Ambulance Service system to benefit accident victims with quick and effective trauma care.
4. Adequately equip hospitals and trauma care centers along national and state highways.
5. Disseminate first aid knowledge to First Responders in coordination with transport and police departments.
6. Promote Good Samaritan scheme.
7. Work to provide free cashless treatment to road accident victims under Government of India scheme.

Transport Department:

1. Strengthen enforcement work to ensure effective implementation of road safety rules.
2. Establish and strengthen highway patrolling on national and state highways in cooperation with central government.

3. Strengthen licensing system and automate it using artificial intelligence to improve drivers' vehicle operation skills.
4. Special training programs for vehicle drivers, especially heavy vehicle drivers.
5. Start refresher courses for light transport vehicle drivers.
6. Include first aid in mandatory qualifications for vehicle drivers/conductor's licenses.
7. Identify repeat offenders of similar category offenses for strict action and counselling.
8. Periodically check vehicle fitness and automate fitness work.
9. Expand enforcement work and strengthen it using electronic enforcement devices.
10. Develop integrated urban transport system to keep major state cities congestion-free.
11. Encourage Intelligent Transport System for establishing safe and efficient traffic system.
12. Create awareness about road safety among pedestrians, cyclists and other non-motorized road users.
13. Organize traffic week/traffic month systematically in each district.
14. Create awareness about road safety through social media.
15. Obtain participation of voluntary organizations in road safety programs/measures.
16. Distribute relief amount promptly to affected persons in case of public service vehicle accidents.
17. Promote Good Samaritan scheme and encourage good people by providing awards/certificates.

Disaster Management Department:

1. Immediately provide accident information to nearest police/revenue police and medical department in case of vehicle accidents.
2. Activate NDRF/SDRF for relief and rescue work based on incident severity.

Police Department:

1. Increase use of modern technology for traffic control and smooth flow of transportation.
2. Ensure strict enforcement of traffic laws and emphasize faceless challans.
3. Strengthen integrated road accident database to understand and analyze actual causes of road accidents.
4. Include road crash investigation and first aid skills in training modules of all police and traffic personnel.

5. Train Traffic Volunteers, Junior Traffic Force, Traffic Wardens and NCC Cadets for road safety.
6. Organize conferences on traffic safety at various academic and research institutions.
7. To carryout road security outreach programme from time to time in order to develop community participation.
8. Promote Good Samaritan scheme and encourage good people through awards/certificates.
9. Disseminate first aid knowledge to First Responders.
10. Create awareness about road safety among pedestrians, cyclists and other non-motorized road users.
11. Organize traffic week/traffic month systematically in each district.
12. Create awareness about road safety through social media.
13. Obtain participation of voluntary organizations in road safety programs/measures.

Housing, Urban Development and Local Bodies:

1. Work to remove encroachments along roads.
2. Remove such hoardings and objects on roads that distract drivers or obstruct visibility.
3. Remove encroachments on pedestrian paths and construct separate footpaths.
4. Plan parking in various urban areas in coordination with traffic police.
5. Construct animal shelters to prevent accidents from stray animals.
6. Display road signs, make road markings, arrange street lights for roads and parking areas in urban areas for the easy traffic.

Forest Department:

1. Take effective steps to prevent conflicts between wildlife and road traffic flow.
2. Implement measures to control vehicle speed in wildlife-rich areas and advise road construction department on selection of trees/plants for median strips.
3. Display information signs at appropriate locations for wildlife protection and road accident prevention.
4. Plant trees along mountain roads to prevent road accidents.

Other Departments:

1. Excise Department to conduct widespread publicity to discourage drunk driving. **(Excise Department)**

2. District Administration to provide timely financial assistance to affected persons under Solatium Scheme (hit and run cases). **(District Administration)**
3. District Administration to implement road safety measures through District Road Safety Committees. **(District Administration)**
4. Electricity Department to properly arrange electric poles/transformers along roads and install adequate reflectors to minimize accident possibility. **(Electricity Department)**
5. Tourism Department to create road safety awareness among tourists visiting the state. **(Tourism Department)**
6. Food and Civil Supplies Department to coordinate with transport, police and district administration for managing movement of vehicles carrying essential goods at night. **(Food and Civil Supplies Department)**

Implementation Aspects

1. Institutional Mechanism-

(1) **State Road Safety Council**

Under the provisions of Section 215(2) of the Motor Vehicles Act, 1988, the State Road Safety Council has been constituted under Notification number-549(1)/iX-1/23(2014)/2017, dated 24-07-2017, chaired by the Hon'ble Transport Minister, Government of Uttarakhand. This council is the policy-making body regarding road safety at the state level. The State Road Safety Council is scheduled to hold two meetings annually, where all policies and programs related to road safety are reviewed and advice is given to the government on their implementation.

(2) **Monitoring Committee**

Under Notification number-316/iX-1/25/2015, dated 27 April, 2015, a Monitoring Committee has been constituted under the chairmanship of the Chief Secretary, Government of Uttarakhand. This committee is scheduled to hold two meetings annually, where the implementation of road safety measures in the state is reviewed.

(3) **Road Safety Fund Management Committee**

Under Notification number-840/iX-1/79(2016)/2017TC, dated 20-11-2017, the Uttarakhand Road Safety Fund Rules, 2017 have been promulgated. Under these rules, a Fund Management Committee chaired by the Chief Secretary, Government of Uttarakhand, has been established, which considers and decides on proposals received against the funds provisioned in the Road Safety Fund.

(4) **Lead Agency**

Following the directions given by the Supreme Court Committee on Road Safety constituted by the Hon'ble Supreme Court, a Lead Agency has been constituted under the chairmanship of the Joint Transport Commissioner, Uttarakhand, via Notification number-455/iX-1/90/2016/2019, dated 26 September 2019. Officers from Transport, Police, Medical, Education, and Public Works departments have been deployed full-time in the Lead Agency, who ensure compliance with directions given by the Supreme Court Committee on Road Safety, State Road Safety Council, Monitoring Committee, and coordinate all road safety-related activities in the state.

(5) **District Road Safety Committee**

Under the provisions of Section 215(3) of the Motor Vehicles Act, 1988, District Road Safety Committees have been constituted under the chairmanship of the District Magistrate via office memorandum number-170/(23/iX-1/2014)/2022, dated 11-05-2022. This committee operates in every district. It meets once every month to review various road safety measures and collect and analyze road accident data.

(6) **Interdepartmental Accident Study Team (Section 135)**

Under the provisions of Section 135 of the Motor Vehicles Act, 1988, to scientifically investigate accidents, committees have been constituted under the chairmanship of Sub-Divisional Magistrates (SDMs) were formed through Office Memo No. 640/(79/IX-1/2016)/2021, dated December 16, 2021.

(7) **Road Accident Data Management System (iRAD/e-DAR Portal)**

Given the increasing number of vehicles and accidents, the state implemented the iRAD/e-DAR portal developed by the Government of India. This portal aims to collect and analyze accident data, assisting in identifying safety improvements and planning

remedial measures. The stakeholders include Police, Transport, Health, and Public Works Departments.

(8) **Emergency Accident Relief Centers (every 50 km on NHs/SHs)**

Emergency relief centers are being established at 50 km intervals on National and State Highways to provide immediate first aid and transport victims to the nearest hospital. Each center will have essential medications, paramedical staff, and a 24/7 ambulance.

2. Resources:

(1) **Road Safety Fund:**

The Uttarakhand Road Safety Fund Rules, 2017, (as amended time to time) were promulgated under Notification No. 840/iX-1/79(2016)/2017 T.C. dated 20-11-2017. According to the provisions of these rules, 30% of the compounding fees collected from challans issued by the Transport and Police Departments is allocated to the Road Safety Fund.

(2) **Departmental Budget:**

In addition to the Road Safety Fund, budgetary provisions for road safety activities are made available to the Police and Public Works Departments through their departmental budgets.

(3) **Central Assistance from Government of India:**

Central assistance for road safety activities is approved from time to time under various schemes of the Central Government. The State Government will take necessary steps to implement these schemes in the state.

(4) **Central Road Fund (CRF):**

Under the Central Road Fund, financial assistance is provided to the Public Works Department for road maintenance and road safety activities. Efforts will be made to secure maximum funds under this category.

(5) **Support from Various NGOs:**

Support from various non-governmental organizations (NGOs) will be sought for conducting road safety awareness programs in the state.

(6) **Assistance under CSR:**

Assistance from various corporate institutions under Corporate Social Responsibility (CSR) will be utilized for conducting road safety awareness programs and developing infrastructure related to road safety.

(7) **Accident Relief Fund:**

The "Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund" has been established by the government to provide relief to dependents of individuals who die or sustain serious/ordinary injuries in road accidents involving public service vehicles. Relief amounts are disbursed through the District Magistrates of the concerned areas as follows:

Sl. No.	Description of Accident/Damage	Permissible Relief Amount (INR)
1	Death of a passenger or any other individual in the accident	2,00,000.00
2	Severe injury in accident leading to total disability, making employment, livelihood, or any occupation impossible, including: (a) Total loss of two limbs (b) Total loss of vision in both eyes	1,00,000.00
3	Severe injury in accident such as: (a) Loss of one leg above the ankle (b) Loss of vision in one eye (c) Total loss of hearing in both ears (d) Loss of right wrist or one arm (e) Hospitalization for treatment lasting 20 days or more	40,000.00
4	Minor injuries in accident cases other than those listed under Sl. No. 2 and 3	10,000.00

3. Projects and Activities:

(1) **Automation of Driver's License Issuance System:**

Establishing automated driving test tracks in each office of the Transport Department.

(2) **Automation of Vehicle Fitness Process:**

Setting up automated fitness testing stations in both public and private sectors under the Transport Department.

(3) **Strengthening Enforcement Teams and Automation of Enforcement Actions:** Enhancing enforcement teams under the Transport and Police Departments by providing modern equipment and promoting electronic enforcement through the installation of ANPR, RLVD, SLVD devices, etc.

(4) **Mandatory Training for Light Vehicle Drivers:** Making training or refresher courses mandatory before issuing or renewing licenses for light commercial vehicle drivers.

(5) **Establishment of Children's Traffic Parks** to create awareness about road safety among children.

(6) Identification and Improvement of Black Spots: **Identifying and improving black spots based on prescribed protocols through the Public Works Department (PWD), NH, NHAI, BRO, and other road construction agencies, and reviewing accident records post-improvement.**

(7) Identification and Improvement of Accident-Prone Areas: **Defining standards for identifying accident-prone areas and undertaking improvements as per standards through PWD, NH, NHAI, BRO, and other agencies.**

(8) Installation of Crash Barriers Along Identified Roads: **Timely installation of crash barriers on mountainous roads, particularly at black spots, accident-prone sites, and other identified locations.**

(9) Implementation of Speed Calming Measures at Junctions:**Installing speed calming measures at junctions where lower hierarchy roads meet higher hierarchy roads through relevant agencies.**

(10) Conducting Road Safety Audits: **Carrying out road safety audits and implementing recommendations in line with Supreme Court Committee on Road Safety guidelines.**

(11) Road Marking and Signage Installation: **Adequate road markings and signage installation on roads through relevant agencies.**

(12) Provision for Cycle Tracks and Footpaths for Pedestrians: **Establishing cycle tracks and footpaths through relevant departments like PWD, NH, NHAI, BRO, and Urban Development.**

(13) Establishment of Rest Stops for Drivers: **Creating rest stops for drivers along routes and destinations, especially on Char Dham Yatra routes.**

(14) Tree Plantation Along Mountain Roads: **Planting trees along mountain roads to prevent vehicles from falling into deep gorges, managed by the Forest Department.**

(15) Awareness Campaigns at Bus Stops and on Public/Private Buses: **Spreading awareness to avoid littering, throwing food waste, plastic bottles, or feeding wildlife, particularly monkeys, in forest areas.**

(16) Measures to Control Vehicle Speeds in Wildlife-Rich Areas: **Implementing speed control measures and consulting the Forest Department regarding vegetation planted on road medians in such areas.**

(17) Coordination with the Forest Department During Road Construction/Widening: **Ensuring coordination with the Forest Department during road construction or widening by agencies like PWD.**

(18) Underpasses/Overpasses in Wildlife Corridors: **Building underpasses or overpasses in wildlife-rich or corridor areas wherever possible.**

(19) Capacity Building on Road Safety for Officials and Personnel: **Providing training to officials and staff from Transport, Police, Education, Health, and PWD departments through expert institutions and preparing first responders from the general public, drivers, and conductors.**

(20) Public Awareness Campaigns: **Conducting road safety awareness programs using social media, films, and messages through the Transport, Police, Higher Education, Technical Education, Medical Education, and Education Departments.**

(21) Organizing Traffic Week/Month in Each District: **Conducting well-organized traffic awareness events at the district level.**

(22) Provision of Cashless Treatment for Accident Victims: **Strict implementation of the Government of India's scheme for cashless treatment of accident victims and expanding it to include nearby hospitals.**

(Reena Joshi)
Additional Secretary.